

परिशिष्ट (क)

प्रपत्र (I)

(खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 24 की उपधारा (2) (क) खण्ड (ख) देखिये)

उत्तर प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1976 के अधीन लाइसेन्स जारी करने के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र वर्ष 20 के लिए लाइसेन्स/लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र 'क' का प्रपत्र

आवेदक का नाम पिता का नाम.....

निवासी जिला.....

नगर पालिका/नोटिफाइड एरिया/टाउन एरिया/गाँव में स्थिति, भू-गृह आदि, संख्या

निर्माता/थोक व्यापारी/फुटकर व्यापारी/फेरी वाले के रूप में दूध/क्रीम निकाला हुआ दूध तथा विकृत/टोंड दूध, मानांकित दूध/दूध से बनी वस्तुयें घी, मक्खन/खाने का तेल, उद्जनित (हाइड्रोजेनेट) वनस्पति, तेल, चरबी/मिठाइयाँ स्वादिष्ट वस्तुयें फनिल (पेय) जल, आटे से बने पदार्थ जिसमें बिस्कुट तथा अन्य हलवाई द्वारा तैयार की गई वस्तुयें भी हैं बेचने के लिए।

खाद्य पदार्थ

पुराना लाइसेन्स संख्या-
पुराना बिल्ला (बैच संख्या)
(केवल फेरी वालों के लिए)

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

यदि भू-गृह आदि संख्या न हो तो स्थल की सीमाएँ दी जायेंगी।
फेरी वालों की दशा में पता दिया जायेगा।

(लाइसेन्स प्राधिकारी के लिए)

इस आशय की अभ्युक्ति कि लाइसेन्स जारी किये जाने की शर्तें कहाँ तक पूरी की गयी हैं।

दिनांक :

प्रतिवेदन अधिकारी का हस्ताक्षर

(लाइसेन्स प्राधिकारी कार्यालय का प्रतिवेदन)

रुपये की फीस..... चालान संख्या दिनांक द्वारा कार्यालय में जमा कर दी है।
जिसकी परिनिरीक्षा की गई है और ठीक पाया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
स्वीकृत/इसमें दिये गये कारणों से अस्वीकृत

लाइसेन्स अधिकारी का हस्ताक्षर